छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 36/2011

याचिकाकर्ता :- **राधेश्याम**

बनाम

उत्तरवादीगण **ज्वाकिम एवं अन्य**

(आदेश दिनांक- 6 अप्रैल 2011 को उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें)

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

–

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक याचिका विविध क्रमांक 36 /2011

याचिकाकर्ता :- राधेश्याम, पिता श्री रामबृक्ष, उम्र लगभग 50 वर्ष, जाति तेली, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम दुर्गापारा, तहसील बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.) ।

बनाम

उत्तरवादीगण :-

1. ज्वाकिम, पिता जोसेफ लकड़ा, उम्र लगभग 38 वर्ष, जाति उराँव, निवासी रूपसेरा (भदिया), तहसील बगीचा, जिला। जशपुर (छ.ग.) ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जशपुर के माध्यम से, जिला , जशपुर (छ.ग.) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका)

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता की ओर से :- श्री अवध त्रिपाठी एवं श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से :- श्री राजीव श्रीवास्तव एवं श्री मलय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

उत्तरवादी संख्या 2 राज्य की ओर से :-श्री राकेश कुमार झा, उप शासकीय अधिवक्ता ।

एकल पीठ: माननीय टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

<u>आदेश</u>

(पारित दिनांक - 6 अप्रैल 2011)

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता, 1973') की धारा 482 के तहत इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश, सत्र खंड, जशपुर द्वारा दांडिक पुनरीक्षण संख्या 13/2004 में दिनांक- 20-1-2011 को पारित आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसमें उप-खंड मजिस्ट्रेट, बगीचा द्वारा दांडिक एमजेसी संख्या 7/2004 में दिनांक- 26-8-2004 को पारित आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके द्वारा विद्वान उप-खंड मजिस्ट्रेट ने संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत उत्तरवादी संख्या 1 के कब्जे को घोषित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस याचिका के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने ग्राम बगीचा में स्थित खसरा संख्या 106/1 की 0.06 एकड़ भूमि महादेव साय (अनुसूचित जनजाति के सदस्य) से दिनांक- 26-8-89 को एक समझौते के तहत खरीदी थी, जो कुल 0.42 एकड़ भूमि का हिस्सा है। इसके बाद दिनांक- 19-10-2001 को महादेव साय ने खसरा संख्या 106/1 की 0.06 एकड़ भूमि बेच दी। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर उत्तरवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को बेदखल करने और शांति भंग करने का प्रयास किया। उपरोक्त आधार पर याचिकाकर्ता की ओर से उप-खंड मजिस्ट्रेट, बगीचा की अदालत में संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत याचिका दायर की गई थी।

3. उत्तरवादी संख्या 1 ने जवाब दाखिल करते हुए प्रतिकूल आरोप से इंकार किया है और विशेष रूप से आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और आदिवासी अर्थात् महादेव साय से संपत्ति खरीदने के लिए सक्षम नहीं था और कथित करार अवैध है। उत्तरवादी संख्या 1 ने आगे आरोप लगाया है कि इससे पहले वर्ष 1981-82 में राजस्व कार्यवाही मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता,

1959 (संक्षेप में 'संहिता, 1959') की धारा 170ख के तहत महदेव साय की शिकायत पर याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई थी और अंततः कब्जा महादेव साय को सौंप दिया गया था। राजस्व अपील भी दिनांक- 9-7-1984 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अन्य असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर उत्तरवादी संख्या 1 का ताला तोड़ दिया और वादग्रस्त संपत्ति, जिसमें मकान भी शामिल है, पर दिनांक- 21-11-2001 को कब्जा कर लिया। उत्तरवादी संख्या 1 ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने दिनांक- 21-11-2001 को वादग्रस्त संपत्ति पर जबरन कब्जा प्राप्त कर लिया।

4. संहिता, 1973 की धारा 145 (4) के अनुसार, उप-खंड मजिस्ट्रेट ने उत्तरवादी संख्या 1 के कब्जे की घोषणा की थी, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय में चुनौती दी गई थी और पुनरीक्षण न्यायालय ने उप- खंड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को आक्षेपित आदेश के माध्यम से बरकरार रखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, आदेशों का अध्ययन किया है और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी ने जोरदार तर्क दिया कि यह याचिका दांडिक पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर की गई है, लेकिन उपयुक्त मामलों में, जैसे कि (i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए, उच्च न्यायालय असाधारण अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत है। वर्तमान मामले में, दोनों अधीनस्थ न्यायालय पर संहिता, 1973 की धारा 145 (6) के अनुसार शिकायत दर्ज करने की तिथि पर या शिकायत दर्ज करने की तिथि से दो महीने पहले वास्तविक कब्जे के प्रश्न पर विचार करने का दायित्व था, लेकिन पक्षकार के वास्तविक कब्जे के प्रश्न पर विचार करने के बजाय, दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने संपत्ति पर

कब्जा करने के अधिकार के प्रश्न पर विचार किया है और इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधता की है। यहां तक कि उपखंड मजिस्ट्रेट ने भी वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जे के तथ्य पर विचार नहीं किया है और अपने कर्तव्य से विचलित होकर राजनाथ साव से संबंधित एक अन्य भूमि पर कब्जे के तथ्य पर विचार किया है, जो वर्तमान विवाद का विषय नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि महादेव साय - संपत्ति के कथित मूल स्वामी - के साक्ष्य से यह निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता याचिका दाखिल करने की तिथि पर और उससे दो महीने पहले तक संपत्ति पर कब्जे में था, इसलिए, दोनों अधीनस्थ न्यायालय पर याचिकाकर्ता के कब्जे की घोषणा करने का दायित्व था, और याचिकाकर्ता के कब्जे की घोषणा न करके दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधता की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका 1973 की संहिता की धारा 482 के तहत पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद दायर की गई है। दोनों अधीनस्थ अदालतों के एक समान तथ्यात्मक निष्कर्षों को बिना किसी ठोस कारण के बदला नहीं जा सकता। याचिकाकर्ता याचिका दायर करने की तिथि पर या उससे दो महीने पहले तक कब्जे में नहीं था, और न ही वह कब्जे का हकदार था। राज्य और उप-खंड मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता को कब्जा घोषित करने या सौंपने के लिए सक्षम नहीं थे। वैसे भी, याचिकाकर्ता का अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संपत्ति पर अवैध समझौते के आधार पर कब्जा अवैध था और राज्य पर संहिता, 1959 की धारा 170ख और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के तहत कब्जा बहाल करने का दायित्व था। किसी गैर-अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को गलत तरीके से बेदखल करना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(v) के तहत दंडनीय अपराध है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि उपर्युक्त अधिनियम अन्य अधिनियमों पर अधिभावी है, जिसमें संहिता, 1973 की धारा 145 में निहित

प्रावधान भी शामिल हैं, और इसलिए न्यायालय संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत कोई अनुतोष देने के लिए अधिकृत नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मूल विक्रेता महादेव साय के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने वादग्रस्त भूमि उत्तरवादी संख्या 1 को वर्ष 2001 में बेची थी। महादेव साय का साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि संपत्ति पर केवल उत्तरवादी संख्या 1 का ही कब्जा था, याचिकाकर्ता का नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने *अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति और अन्य (2004) 10 एससीसी 65* के मामले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम, 1956 के कंडिका 2 के खंड (एफ) में परिभाषित अभिव्यक्ति "अचल संपत्ति का अंतरण" को संदर्भ और उस संदर्भ के आधार पर बहुत व्यापक और विस्तारित अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया गया है, ताकि इसमें ऐसे लेनदेन भी शामिल हो सकें जो अन्यथा और सामान्यतः इसके अर्थ में शामिल नहीं होते। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी माना है कि प्रतिकूल कब्जा या कोई भी दस्तावेज जो स्वामित्व को समाप्त करता है, उसमें भी "अचल संपत्ति का अंतरण" अभिव्यक्ति शामिल है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और संहिता, 1959 की धारा 170ख के प्रावधान जनजातियों की संपत्ति को गैर-जनजातियों से बचाने के लिए बनाए गए लाभकारी प्रावधान हैं। राज्य पीड़ित व्यक्ति के किसी भी दावे या आवेदन के बिना भी उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए बाध्य है।

9. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी याचिका का विरोध किया।

10. उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर याचिका और उत्तर में लगाए गए आरोपों, पक्षों के दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के अनुसार, प्रारंभिक रूप से 1982 से पहले याचिकाकर्ता और मूल विक्रेता महादेव साय के बीच खसरा संख्या 106 (क्षेत्रफल 1.05

एकड़) और खसरा संख्या 105/240 (क्षेत्रफल 1.05 एकड़), कुल क्षेत्रफल 2.10 एकड़, के कब्जे को लेकर विवाद था, जो याचिकाकर्ता के कब्जे में था। राजस्व कार्यवाही राजस्व मामला संख्या 73/ए-23/81-82 के तहत धारा 170बी के तहत शुरू की गई थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक- 30-9-83 के आदेश के माध्यम से संपत्ति की पुर्नस्थापना का आदेश पारित किया गया था। इसे राजस्व अपील संख्या 23/ए-23/83-84 में अतिरिक्त कलेक्टर जशपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी और दिनांक- 9-7-84 के आदेश के माध्यम से अपील खारिज कर दी गई थी। अंततः दिनांक- 9-7-84 को या उससे पहले महादेव साय को अधिकार सौंप दिया गया।

11. याचिकाकर्ता राधेश्याम के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने दिनांक- 26-8-89 को महादेव साय के साथ फिर से एक करार किया (प्रदर्श पी-2 के माध्यम से) जो खसरा संख्या 106/1 वाली 0.06 एकड़ भूमि से संबंधित है और फिर से उक्त भूमि का कब्जा (प्रदर्श पी-2 के माध्यम से) प्राप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा महादेव साय को गवाह संख्या 1 के रूप में पेश किया गया। उन्होंने करार (प्रदर्श पी.-2) की सत्यता और उस पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि दिनांक- 26-8-89 के करार (प्रदर्श पी.-2) पर हस्ताक्षर के बाद, याचिकाकर्ता ने उक्त 6 डेसिमल भूमि पर मकान और साइकिल की दुकान का निर्माण किया और उसके बाद और भी निर्माण कार्य किए। उन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने वर्ष 2001 में मकान सहित वादग्रस्त संपत्ति उत्तरवादी संख्या 1 को बेच दी और उसे कब्जा सौंप दिया। अपनी प्रतिपरीक्षण में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2001 में उत्तरवादी संख्या 1 को बेचे गए मकान की लंबाई और चौड़ाई 40 फीट x 20 फीट थी। इस गवाह के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्ष 1989 में उन्होंने याचिकाकर्ता के साथ 6 डेसिमल भूमि से संबंधित समझौता किया था और समझौते के बाद याचिकाकर्ता ने उस भूमि पर मकान और दुकान का निर्माण किया था, और वर्ष 2001 में उन्होंने मकान सहित 40

फीट x 20 फीट क्षेत्रफल वाली भूमि उत्तरवादी संख्या 1 को बेच दी थी। दिनांक-19-10-2001 को महादेव साय द्वारा उत्तरवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई ठोस आपत्ति नहीं जताई गई है। दोनों पक्षों ने भी महादेव साय द्वारा उत्तरवादी संख्या 1 के पक्ष में उपरोक्त विक्रय विलेख के निष्पादन को स्वीकार किया है।

13. याचिकाकर्ता ने दिनांक- 26-11-2001 को, अर्थात् कथित विक्रय विलेख के निष्पादन के एक महीने सात दिनों के भीतर, संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत याचिका दायर की। उत्तरवादी संख्या 1 के उत्तर के अनुसार, उसने दिनांक- 19-10-2001 को संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और याचिकाकर्ता ने उसे दिनांक- 21-11-2001 को बेदखल कर दिया था। याचिकाकर्ता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह 1989 से संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जे में था। अन्य बातों के अलावा, उत्तरवादी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने संपत्ति की खरीद की तारीख को कब्जा प्राप्त कर लिया था, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसे अपने घर के कमरों की संख्या का पता नहीं था। वस्तुतः, उसके साक्ष्य से पता चलता है कि उसने संपत्ति के उस हिस्से पर कब्जा प्राप्त नहीं किया था जो याचिकाकर्ता के कब्जे में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मूल विक्रेता द्वारा याचिकाकर्ता के कब्जे से इनकार नहीं किया गया है। महादेव साय ने, अन्य बातों के अलावा, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-2 के माध्यम से भूमि खरीदने के बाद, याचिकाकर्ता ने उक्त संपत्ति पर मकान और साइकिल की दुकान का निर्माण किया है। हालांकि, अपनी परीक्षा के पहले पैरा कंडिका में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने वादग्रस्त संपत्ति ज्वाकिम अर्थात उत्तरवादी संख्या 1 को बेच दी थी और उत्तरवादी संख्या 1 को कब्जा सौंप दिया था। लेकिन प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि याचिकाकर्ता खरीद के बाद से ही खरीदी गई संपत्ति पर कब्जा बनाए हुए है। उनके साक्ष्य से पता चलता है कि उत्तरवादी संख्या 1 ने उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त नहीं किया है जो याचिकाकर्ता के कब्जे में थी। इसके

अलावा, यदि यह मान भी लिया जाए कि उत्तरवादी संख्या 1 ने किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद की तारीख अर्थात दिनांक- 19-10-2001 को संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया था, तो यह याचिकाकर्ता को संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत आवेदन दाखिल करने के दो महीने के भीतर ही बेदखल करने का मामला था, अर्थात् मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत याचिका दाखिल करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से।

15. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अमरेन्द्र (पूर्वोक्त) मामले में कहा है, अचल संपत्ति के अंतरण की परिभाषा को हस्तांतरण के रूप में समझा जाएगा अन्य दस्तावेजों या किसी अन्य साधन द्वारा जो आदिवासियों को बेदखल करता है।

16. याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जबकि महादेव साय अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना हस्तांतरण का कोई भी दस्तावेज, 1959 संहिता की धारा 170ख के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि यह अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अचल संपत्ति का हस्तांतरण है। लेकिन तथ्य यह है कि याचिका दायर करने की तिथि पर, उत्तरवादी संख्या 1 के आरोपों और साक्ष्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता संपत्ति पर कब्जे में था। महादेव साय और उत्तरवादी संख्या 1 के बीच कथित हस्तांतरण की तिथि पर, अर्थात् दिनांक- 19-10-2001 को, याचिकाकर्ता संपत्ति पर कब्जे में था और याचिकाकर्ता ने कथित बिक्री लेनदेन के दो महीने के भीतर ही याचिका दायर की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12 (4) से संबंधित प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्य, अर्थात् महादेव साय के अनुरोध पर लागू हो सकते हैं और उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है। हालाँकि, संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत विवाद का निर्णय करते समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का सीमित दायरा होता है और वह मुख्य रूप से दो प्रश्नों का निर्णय करने के लिए बाध्य होता है कि (1) क्या अचल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संपत्ति से संबंधित कोई विवाद था और (2) क्या संपत्ति के ऐसे कब्जे से शांति भंग होने की संभावना है।

17. संहिता, 1973 की धारा 145 की उपधारा (4) के परंतुक के अनुसार, मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति का कब्जा बहाल करने का अधिकार है जिसे पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त होने की तिथि से दो महीने पहले तक जबरन और गलत तरीके से बेदखल किया गया हो। यह मजिस्ट्रेट की शक्ति को सीमित करता है और मजिस्ट्रेट को केवल ऐसी सूचना की तिथि से दो महीने पहले तक के कब्जे पर विचार करने का अधिकार है, जिसमें जबरन और गलत तरीके से बेदखली भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना की तिथि से दो महीने से अधिक समय पहले तक गलत तरीके से या जबरन बेदखल किया जाता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को संहिता, 1973 की धारा 145 के अनुसार कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत कार्यवाही अचल संपत्ति पर कब्जे से संबंधित शांति भंग के अस्तित्व पर आधारित संक्षिप्त कार्यवाही है। शांति भंग का कोई प्रश्न न होने की स्थिति में, मजिस्ट्रेट संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत कोई आदेश पारित करने के लिए अधिकृत नहीं है। उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा महादेव साय के कब्जे के अधिकार से संबंधित उपरोक्त आधार कि राज्य का यह कर्तव्य है कि याचिकाकर्ता से महादेव साय के पक्ष में कब्जा बहाल करे, संहिता, 1959 की धारा 170ख या नियम, 1995 और अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए पूरी तरह से असंगत है।

19. संहिता, 1973 की धारा 145 का दायरा सीमित है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सीमित अवधि के वास्तविक कब्जे के तथ्य पर विचार करना आवश्यक है, भले ही उसे कानून के अनुसार न हो, कब्जे की रक्षा करनी हो। वर्तमान मामले में, उप-खंड मजिस्ट्रेट ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कब्जे के प्रश्न पर विचार नहीं किया है,

बल्कि महादेव साय से संबंधित संपत्ति पर कब्जे के अधिकार पर राजस्व न्यायालयों के 1989 से पूर्व के निर्णयों के आधार पर विचार किया है।

20. विवाद का निर्णय करने के लिए, उप-खंड मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर प्रत्यक्ष और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के लिए बाध्य थे, लेकिन उप-खंड मजिस्ट्रेट ने पक्षों के उपरोक्त आरोपों और साक्ष्यों पर विचार नहीं किया, और इस प्रकार गंभीर अवैध कारित किया। पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए, पुनरीक्षण न्यायालय ने संपत्ति पर कब्जे के अधिकार पर तो विचार किया, लेकिन वास्तविक कब्जे पर विचार नहीं किया, और इस प्रकार विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भी गंभीर अवैध कारित किया है।

21. उपरोक्त कारणों से, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अवैध आदेश टिकाऊ नहीं हैं और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए असाधारण अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अतः, याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाते हैं। याचिकाकर्ता को ग्राम बगीचा में स्थित खसरा संख्या 106/1 (क्षेत्रफल 0.06 एकड़) पर तब तक कब्जे का हकदार घोषित किया जाता है जब तक कि विधिवत रूप से उसे बेदखल न कर दिया जाए। उत्तरवादीगण को बेदखली होने तक ऐसे कब्जे में किसी भी प्रकार की बाधा डालने से रोका जाता है।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur